

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार पाठक,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक

विषय— डा० शंभु नाथ सिंह, सेवानिवृत्त सहायक प्राध्यापक (संविदा), पैथोलॉजी विभाग, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर (नियमित चिकित्सक, बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग) को 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 8889 (2) वि० दिनांक 24.12.1986, पत्रांक 1829 वि० (2) दिनांक 07 04 2005 एवं महालेखाकार बिहार, पटना के ज्ञापांक LR: 130220260201172 के आलोक में डा० शंभु नाथ सिंह, सेवानिवृत्त सहायक प्राध्यापक (संविदा), पैथोलॉजी विभाग, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर (नियमित चिकित्सक, बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग) को 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि की स्वीकृति दी जाती है।

2 उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यदि वित्तीय अनियमितता/वसूलनीय राशि का मामला प्रकाश में आता है तो उसकी नियमानुकूल वसूली डा० शंभु नाथ सिंह से की जाएगी।

3 डा० शंभु नाथ सिंह की सेवा निवृत्ति की तिथि 31.01.2026 है।

4 अनुरोध है कि प्राधिकार पत्र प्राचार्य, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर के नाम से निर्गत करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/—

(विनोद कुमार पाठक)

ज्ञापाक

331(3)

/स्वा०, पटना, दिनांक

13/4/26

प्रतिलिपि: निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: डा० शंभु नाथ सिंह, सेवानिवृत्त सहायक प्राध्यापक (संविदा), पैथोलॉजी विभाग, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर (नियमित चिकित्सक, बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग), पत्राचार का पता—साधना नर्सिंग होम, गौतम नगर, हरख, वार्ड न०-12, गंगा हॉस्पिटल के बगल में, डी०सी० सिंह पेट्रोल पंप के पीछे, डाकघर—बेगूसराय, थाना—टाउन थाना, जिला—बेगूसराय, पिन—851101, मो०न०—9931676184 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—2,7,8,9 एवं 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि विभागीय पी०एम०यू०लिड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव